



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या-177 राँची, मंगलवार, 18 फाल्गुन, 1942 (श०)
09 मार्च, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

24 फ़रवरी, 2021

संख्या-5/आरोप-1-909/2014-1919 (HRMS)-- श्री (डॉ०) ज्योति कुमार सिंह, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक 890/03, प्रथम बैच, गृह जिला- धनबाद), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोहनपुर, देवघर के विरुद्ध उपायुक्त, देवघर के पत्रांक- 2389, दिनांक 22.12.2008 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-723, दिनांक 30.01.2009 के माध्यम से प्राप्त है। प्रपत्र- 'क' में इनके विरुद्ध निम्न आरोप लगाये गये हैं:-

1. दिनांक 24.04.2008 को नरेगा योजना अन्तर्गत जॉब कार्डधारी मजदूरों को काम के एवज में राशि नहीं मिलने के कारण प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोहनपुर की अनुपस्थिति से क्षुब्ध होकर ग्रामीणों द्वारा प्रखण्ड कार्यालय, मोहनपुर 12:00 बजे पूर्वाहन् में तालाबंदी कर दी गई। सरकारी निदेशों के बावजूद इनके द्वारा मुख्यालय में आवासन नहीं किया जाता था, जिसके कारण सरकारी मंशा के अनुरूप आम जनता को स्वच्छ, सचेत एवं जिम्मेवार प्रशासन का लाभ नहीं मिल पाता था तथा जिले में कार्य संस्कृति समुन्नत एवं जनता की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली रूप से समाधान सुनिश्चित करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था।

2. नरेगा योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष, 2007-08 में कुल स्वीकृत 2203 योजनाओं में से 1343 योजना पर ही आरोपी पदाधिकारी द्वारा कार्य का आरम्भ किया गया एवं शेष 860 योजना पर कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया गया। अनेक स्मार के बावजूद इनके द्वारा वित्तीय वर्ष, 2008-09 की नरेगा योजना अन्तर्गत वार्षिक कार्यकारी योजना समर्पित नहीं किया गया।

3. इनके द्वारा नरेगा से संबंधित विहित प्रपत्र में मासिक प्रतिवेदन स्मारित किये जाने के बाद भी नहीं भेजा गया।

4. इनके द्वारा नरेगा योजनाओं का नियमित पर्यवेक्षण एवं सत्यापन नहीं किया जाता था एवं इनके कार्यान्वयन में इनकी भूमिका नकारात्मक एवं असहयोगात्मक थी।

5. वर्ष, 2008-09 में इंदिरा आवास (नव निर्माण एवं उन्नयन) का भौतिक लक्ष्य उपलब्ध कराते हुए निदेश दिया गया था कि मार्गदर्शिका एवं जिला स्तर पर निर्गत निर्देशों के अनुरूप इंदिरा आवास के योग्य लाभुकों का दिनांक 16.05.2008 तक हर हालत में करते हुए एकरारनामा कर प्रथम किस्त की राशि विमुक्त किया जाय तथा दिनांक 17.05.2008 तक उपायुक्त, देवघर को अनुपालन प्रतिवेदन भेजा जाय, परन्तु चार माह की अवधि बीतने के बाद भी इनके द्वारा अनुपालन नहीं किया गया। दिनांक 02.07.2008 को सम्पन्न जिला समन्वय समिति की बैठक में भी इनकी प्रगति शून्य रहने के कारण आवश्यक निदेश दिया गया था, परन्तु माह जुलाई के प्रतिवेदन में भी इनकी प्रगति शून्य रही। इनके द्वारा योजनाओं का मासिक प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जाता था। मोहनपुर प्रखण्ड कार्यालय के निरीक्षण के क्रम में ये अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये, जिसके कारण सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ।

6. मोहनपुर प्रखण्ड में इंदिरा आवास योजना के वर्ष, 2007-08 की राशि पंचायत सेवकों को अग्रिम के रूप में दे दिया गया, जो पंचायत सेवकों के निजी खातों में लंबित पड़ा रहा। इसके कारण योजनाएँ अधूरी एवं लंबित पड़ी रहीं एवं इसका लाभ लाभुकों को आरोपी पदा० की लापरवाही एवं मनमानेपन के कारण नहीं मिला।

7. मोहनपुर प्रखण्ड के जमुनिया पंचायत के अन्तर्गत नावाकुरा में नरेगा के तहत् कार्यान्वित की जा रही सिंचाई कूप योजना में कार्यरत मजदूरों को योजना का कार्य 10 फीट ब्यास एवं 30 फीट की गहराई किये जाने के बावजूद मजदूरों के नाम से न तो खाता खोला गया और न ही मजदूरी को भुगतान सुनिश्चित किया गया, जिसके कारण मजदूरों के समक्ष आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई। स्थलीय जाँच के क्रम में इसमें बिचौलिए परशुराम यादव एवं कामदेव यादव की भूमिका प्रकाश में आई। योजना के मस्टर रॉल में फर्जी तरीके से कुछ हाजिरी बना दी गई थी, जिसमें अध्ययनरत छात्र का नाम अंकित था। जाँच के क्रम में आरोपी पदा० द्वारा जाँच पदा० को योजना से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया, जो सरकारी कार्य में इनके असहयोगात्मक रवैये का परिचायक है।

8. मोहनपुर प्रखण्ड के पंचायत भिखना एवं हरकट्टा में नरेगा के तहत् कार्यान्वित निम्न योजनाओं की जाँच की गई:-

क. भिखना सिंचाई कूप निर्माण योजना सं०-04/07-08,

ख. भिखना तालाब निर्माण योजना सं०-03/07-08

ग. देवघर-सारवाँ मुख्य पथ से कर्णकोल ग्राम तक मिट्टी मोरम सड़क निर्माण योजना सं०-06/07-08

जाँच में उक्त योजनाएँ बंद पायी गयी एवं इनके कार्यान्वयन में गंभीर अनियमितता तथा मजदूरों की मजदूरी बिचौलियों द्वारा हड़प लिये जाने की बात प्रकाश में आई। इस प्रकार आरोपी पदाधिकारी द्वारा योजना के कार्यान्वयन में उदासीनता बरती गई एवं ससमय इनका निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं किया गया। श्री सिंह का यह आचरण अपने कार्य के प्रति लापरवही, दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता तथा कर्तव्यों के निर्वहन में अक्षमता को दर्शाता है।

उक्त आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक-1996, दिनांक 26.03.2009 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्री सिंह द्वारा अपना स्पष्टीकरण पत्र दिनांक 07.04.2009 द्वारा समर्पित किया गया। इनके स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-3674, दिनांक 02.06.2009 द्वारा उपायुक्त, देवघर से मंतव्य की माँग की गई। तत्पश्चात् पत्रांक-6100, दिनांक 05.09.2009 द्वारा स्मारित किया गया।

उपायुक्त, देवघर का मंतव्य पत्रांक-1568, दिनांक 03.09.2009 द्वारा प्राप्त हुआ। उपायुक्त, देवघर द्वारा श्री सिंह के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु अनुशंसा किया गया। इसके आलोक में विभागीय पत्रांक-2729, दिनांक 12.05.2010 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से मंतव्य की माँग की गई। विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा पत्रांक-4672, दिनांक 06.07.2010 द्वारा उपायुक्त, देवघर के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा की गयी।

श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उपायुक्त, देवघर के मंतव्य तथा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प सं०-1883, दिनांक 09.04.2011 द्वारा इनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-55 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु निर्णय लिया गया तथा श्री विष्णु कुमार, भा०प्र०से०, प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। तत्पश्चात् विभागीय कार्यवाही के त्वरित निष्पादन हेतु श्री विष्णु कुमार, भा०प्र०से० के स्थान पर श्री अशोक कुमार सिन्हा, भा०प्र०से० (सेवानिवृत्त), विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को विभागीय संकल्प सं०-6500, दिनांक 19.05.2012 द्वारा संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री अशोक कुमार सिन्हा, भा०प्र०से० (सेवानिवृत्त), संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-41, दिनांक 31.01.2013 द्वारा समर्पित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन में आरोप सं०-1, 2, 5, 6, 7 एवं 8 प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है तथा आरोप सं०-3 एवं 4 के प्रसंग में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री सिंह को संदेह का लाभ दिया गया है।

श्री सिंह के विरुद्ध प्राप्त आरोप एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त श्री सिंह के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए इनकी तीन वेतनवृद्धियाँ संचायात्मक प्रभाव से रोकने के साथ-साथ निन्दन का दण्ड इन पर अधिरोपित करने हेतु प्रस्तावित

किया गया। तदनुसार विभागीय पत्रांक-3456, दिनांक 25.04.2013 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। तत्पश्चात् पत्रांक-5669, दिनांक 28.06.2013 एवं पत्रांक-7321, दिनांक 12.08.2013 द्वारा इसके लिए स्मारित किया गया।

श्री सिंह द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब अपने पत्रांक-31, दिनांक 20.08.2013 द्वारा समर्पित किया गया है। इनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में कोई ऐसा नया तथ्य समर्पित नहीं किया गया है, जिसके आलोक में प्रस्तावित दण्ड पर पुनर्विचार किया जा सके। अतः श्री सिंह के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०-11258, दिनांक-22.11.2013 द्वारा इनकी तीन वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने के साथ-साथ निन्दन का दण्ड इनपर अधिरोपित किया गया।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री सिंह द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-529, दिनांक 10.03.2014 द्वारा विभाग में प्राप्त हुआ, जिसके समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-4279, दिनांक 13.05.2015 द्वारा श्री सिंह द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन निरस्त करते हुए उनके विरुद्ध संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक एवं निन्दन के दण्ड को यथावत् रखा गया।

श्री सिंह द्वारा अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में रिट याचिका W.P.(S) No. 5404/2015 दायर की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18.08.2020 को न्यायादेश पारित किया गया है, जिसका आपरेटिव पार्ट निम्नवत् है-

"In view of the aforesaid facts and circumstances of this case and the judgment referred to hereinabove, I hereby quashed and set aside the impugned orders dated 22.11.2013 whereby the petitioner has been inflicted punishment of withholding three increments with cumulative effect as well as censor and also the order as contained in memo no.-Arop-909/2014 Kaa 4279 dated 13.05.2015 whereby the appeal preferred by the petitioner has been rejected and remit the case back to the disciplinary authority with a direction to pass a fresh order after considering the stand of the petitioner made in his reply to the second show cause notice and pass a fresh order.

With the aforesaid direction the instant application is allowed and disposed off."

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के आलोक में श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में उल्लेखित मुख्य बिन्दुओं की समीक्षा इस प्रकार है -

(i) आरोप संख्या-1 के संबंध में श्री सिंह द्वारा उल्लेख किया गया है कि-

(क) प्रखंड मुख्यालय में स्थित सरकारी आवास में आवासन संभव नहीं था, क्योंकि इसकी स्थिति काफी जर्जर थी तथा उग्रवाद से प्रभावित होने के बावजूद सुरक्षा गार्ड का कोई इंतजाम नहीं था। थाने की दूरी प्रखंड से लगभग दो किलोमीटर है।

उप विकास आयुक्त महोदय ने प्रखंड भ्रमण के दरम्यान सारी बातों का जायजा लेकर स्वयं कहा था कि उपर्युक्त कारणों का निवारण के पश्चात् ही मुख्यालय में आवासन संभव होगा, जिसे तत्कालीन उप विकास आयुक्त से सम्पुष्ट किया जा सकता है। न ही आवास का मरम्मत करवाया गया और न ही सुरक्षा हेतु अंचल गार्ड या कोई अन्य व्यवस्था की गई। इन्हीं कारणों से मेरे पूर्व में पदस्थापित प्रखंड

विकास पदाधिकारी एवं मेरे बाद पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी भी मुख्यालय में आवासन नहीं कर पाये।

समीक्षा- श्री सिंह को प्रखंड मुख्यालय स्थित सरकारी आवास की जर्जर अवस्था अथवा आवासन में कठिनाई के संबंध में उपायुक्त, देवघर का ध्यान लिखित रूप में आकृष्ट करना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि सरकारी सेवक को मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति अपने नियंत्री पदाधिकारी से लेना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आरोप गठन के पूर्व श्री सिंह द्वारा अपने आवासीय पता की जानकारी जिला मुख्यालय को दिये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। उप विकास आयुक्त, देवघर के पत्रांक-159/गो०, दिनांक 01.09.2008 द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को मुख्यालय स्थित आवासीय क्वार्टर में निवास करने संबंधित निदेश के आलोक में भी श्री सिंह उपायुक्त, देवघर को वस्तुस्थिति से अवगत करा सकते थे, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। अतः श्री सिंह का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

(ख) पुनश्च यह कहना कि दिनांक 24.04.2008 को प्रखंड कार्यालय में तालाबंदी की गई थी, सरासर गलत है। यदि तालाबंदी करके सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाया जाता तो उसकी प्राथमिकी मोहनपुर थाना में अवश्य दर्ज किया जाता। मैंने तालाबंदी की बात को कभी किसी पदाधिकारी के समक्ष नहीं स्वीकारा है। दिनांक 24.04.2008 को मोहनपुर हाट के जमीन दखल लेकर भूतनाथ यादव के नेतृत्व में कुछ लोग आक्रोशित थे, किन्तु जब मैं क्षेत्र भ्रमण कर तथा निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण करके कार्यालय लौटा तो उक्त भूतनाथ यादव एवं उनके सहयोगी प्रखंड के सामने वाला ग्रील खींचकर खड़े होकर अपने नाराजगी का इजहार करने लगे, किन्तु मेरे समझाने पर वे लोग शांत हो गये। पुनः मैं अपने कार्यालय में बैठकर उन लोगों को सुना। उस वक्त प्रखंड कार्यालय में ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक श्री रणवीर सिंह, महिला प्रसार पदाधिकारी श्रीमती निभा वर्मा, उर्दू अनुवादक श्री असलम राही एवं अन्य कर्मी उपस्थित एवं कार्यरत थे। मोहनपुर हाट से संबंधित मामला अंचल पदाधिकारी से संबंधित था। अतः मुझ से उनकी नाराजगी का कोई संबंध नहीं था और ना ही नरेगा मजदूरों एवं नरेगा योजना के विरुद्ध कोई प्रश्न उन लोगों का था। मेरे आवासन संबंधित कोई आरोप भी नहीं था।

समीक्षा- पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के ज्ञापक-3261/वि०शा० दिनांक 14.05.2008 द्वारा सचिव, गृह विभाग, झारखण्ड, राँची को लिखे गये पत्र के आलोक में श्री सिंह का कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

(ii) आरोप संख्या-2 के संबंध में श्री सिंह द्वारा उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2007-08 के लिये 2203 योजनाएं स्वीकृत की गई थी। योजनाओं का चयन प्रखंड के जॉब कार्डधारी के संख्या के अनुसार किया गया था। यानि इतने योजनाओं का चयन किया गया था कि एक वर्ष तक प्रत्येक जॉब कार्डधारी को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध हो सके। परन्तु व्यवहार में आधे जॉब कार्डधारी ने नरेगा के तहत कार्य करने में रुचि नहीं दिखाई। इसके अनेक कारण हैं तथा यही स्थिति अन्य प्रखंडों की भी थी। सर्वप्रथम यह बात सर्वविदित है कि नरेगा योजना के शुरू होने पर प्रत्येक लोगों ने उत्साह में जॉब कार्ड बनवा लिया, परन्तु हाथ से मिट्टी काटने के कार्य में सबकी रुचि नहीं रही, जिस कारण अनेक जॉब कार्डधारी ने नरेगा के तहत कार्य नहीं मांगा। यह स्थिति प्रायः सभी प्रखंडों की थी। नरेगा एक्ट के तहत किसी

भी जॉब कार्डधारी को काम मांगने पर एक वर्ष में सौ दिन का रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य है। योजनाओं की संख्या से संबंधित कोई बाध्यता नहीं है। मेरे विरुद्ध कोई ऐसी शिकायत का जिक्र नहीं है कि मैंने किसी को मांगने पर कार्य उपलब्ध नहीं करवाया। मोहनपुर प्रखंड का अनेक पंचायत शहरीकरण से प्रभावित था, जहां मजदूरों का रुझान नरेगा योजनाओं के प्रति कम था। मोहनपुर प्रखंड में कई अन्य एजेंसियां रेलवे लाईन का निर्माण, सड़क निर्माण, पुल निर्माण वगैरह का कार्य कर रही थी। इन एजेंसियों द्वारा मजदूरों को भुगतान दैनिक नकद के रूप में दिया जाता था। मजदूर नरेगा योजनाओं में खाता द्वारा भुगतान के मुकाबले दैनिक नकद भुगतान को पसंद करते थे। इस कारण नरेगा योजनाओं में उन्होंने कम रुचि दिखाई। संचालन पदाधिकारी का कहना है कि मैंने अपनी अक्षमता छिपाने के लिये अनेक बहाने ढूंढने की कोशिश की है। वस्तुतः जिन बातों का जिक्र-बचाव बयान में है, वह सब व्यवहारिक हकीकत है। उन बातों को असत्य नहीं ठहराया जा सकता है। संचालन पदाधिकारी द्वारा कहा गया है कि मैं ऐसा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सका, जिससे यह प्रतीत हो कि मोहनपुर प्रखंड बेरोजगारी की समस्या से उबर चुका था। उनके इस कथन के संबंध में सपष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि नरेगा योजना के तहत किसी भी जॉब कार्डधारी परिवार को वर्ष में 100 दिन रोजगार मुहैया कराने का प्रावधान था। इसके जरिये किसी भी क्षेत्र में बेरोजगारी का पूर्ण उन्मूलन की कल्पना करना न्यायोचित नहीं है। एक बार पुनः कहना चाहूंगा कि नरेगा का उद्देश्य जॉब कार्डधारी को उनके द्वारा मांग करने पर कार्य उपलब्ध कराना है। जहां-जहां भी मजदूरों ने कार्य मांगा उन्हें कार्य उपलब्ध करवा दिया गया था। इस प्रक्रिया में 2203 में 1343 योजना ही शुरू हो सके थे। बिना मजदूर के बाकी 860 योजनाओं को शुरू करने का प्रश्न ही नहीं था। शुरू किये गये योजनाओं के पूर्ण होने के पश्चात् इन बाकी 860 योजनाओं को भी शुरू किया गया था।

समीक्षा- वर्ष 2007-08 के लिए नरेगा अंतर्गत कुल स्वीकृत 2203 योजनाओं में सिर्फ 1343 योजनाओं पर ही कार्य प्रारंभ होने के कारणों से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन श्री सिंह को जिला मुख्यालय को प्रेषित करना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। उपायुक्त, देवघर द्वारा आरोप संख्या-2 में प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोहनपुर को वित्तीय वर्ष 2008-09 की नरेगा अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना समर्पित करने हेतु कई स्मार पत्र देने का उल्लेख किया गया है, किन्तु साक्ष्य के रूप में उपायुक्त द्वारा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है। अतः आरोप संख्या-2 के संबंध में श्री सिंह का कथन आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

(iii) आरोप संख्या-5 के संबंध में श्री सिंह द्वारा उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2008-09 के लिये इंदिरा आवास निर्माण एवं उन्नयन का लक्ष्य इस निर्देश के साथ दिया गया था कि लाभान्वितों का चयन प्रतीक्षा सूची से किया जाय। मैंने इंदिरा आवास के लाभान्वितों की प्रतीक्षा सूची, जो देवघर जिला में बना था, जब देखा तब उसमें बी०पी०एल० का स्कोर नहीं पाया। इस कारण किसी निश्चित क्रम में लाभुकों का चयन करना मुश्किल था। पुनः इस प्रतीक्षा सूची में ऐसे व्यक्तियों का भी नाम दर्ज पाया, जो आर्थिक रूप से सम्पन्न थे। अतः उस सूची से लाभुकों का चयन करना सरकारी निदेश के प्रतिकूल था। इस कारण मुझे इसका क्षेत्र सर्वेक्षण कराना पड़ा और तत्पश्चात् योग्य लाभुकों का चयन किया गया। इस चयन में समय लगा। इसके अलावे श्रावणी मेला में प्रखंड के सभी कर्मी प्रतिनियुक्त हो गये, जिस कारण से भी लाभुकों के साथ एकरारनामा करने एवं प्रथम किस्त मुक्त करने में समय लगा। इसके लिए परिस्थितिवश प्रतिवेदन भेजने में विलम्ब हुआ है। वह विलम्ब प्रखंड के सभी पंचायत के

लाभुकों को प्रतीक्षा सूची स्थानीय तौर पर जांच करने में लगा है, इसके लिए मुझ पर दोष गढ़ना वस्तुस्थिति के आलोक में ठीक नहीं है। उक्त सत्यापन कार्य में समय लग जाने के चलते जुलाई माह तक न तो एकरारनामा कराया गया न ही राशि का व्यय हो सका। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि देवघर जिला के अन्य प्रखंड भी इस कारण से प्रभावित रहे। अतः तदनुसार मासिक प्रगति प्रतिवेदन जिला को ससमय भेजा गया, जो प्रतिवेदन सत्यापित है, यथार्थ है और नियमानुकूल है। इस यथार्थता को appreciate करने के बदले आरोप के रूप में गठन कर दिया गया है, जो उचित नहीं है।

समीक्षा- उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-1644 दिनांक 12.09.2008 से स्पष्ट है कि वर्ष 2008-09 के लिए इंदिरा आवास (नव निर्माण एवं उन्नयन) योजनाओं के अंतर्गत उपायुक्त के ज्ञापांक-710 दिनांक 06.05.2008; ज्ञापांक-734 दिनांक 09.05.2008 द्वारा प्रखंड के लिए भौतिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए निदेश दिया गया था कि मार्गदर्शिका एवं समय-समय पर जिला स्तर से निर्गत निर्देश के अनुरूप इंदिरा आवास के योग्य लाभुकों का चयन दिनांक 16.05.2008 तक हर हाल में करते हुए लाभुकों के साथ एकरारनामा कर प्रथम किस्त की राशि विमुक्त कर दी जाय, परन्तु आरोपी पदाधिकारी द्वारा दिनांक 12.09.2008 तक उसका अनुपालन नहीं किया गया और ना ही उपायुक्त द्वारा निर्गत आदेश का अनुपालन नहीं कर पाने संबंधी कारणों की कोई लिखित सूचना ही उपायुक्त, देवघर को प्रेषित की गई। उक्त आधार पर श्री सिंह का कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

(iv) आरोप संख्या-6 के संबंध में श्री सिंह द्वारा उल्लेख किया गया है इंदिरा आवास योजना से संबंधित वित्तीय नियम यह है कि लाभुक को आवास निर्माण हेतु राशि लाभुक के खाते में डाल दिया जाय, जिसे लाभुक निकाल कर आवास निर्माण में उपयोग कर सके। आरोप में वर्णित 2007-08 के लिए इंदिरा आवास के लाभुकों का चयन मेरे पूर्ववर्ती प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा किया गया था। चयन के पश्चात् उन्होंने लाभुकों का खाता नहीं खुलवाया था। लाभुकों को राशि वियरर चेक के माध्यम से दे दिया। यह नियम के प्रतिकूल था, परन्तु न तो उस प्रखंड विकास पदाधिकारी से कोई स्पष्टीकरण पूछा गया और न ही प्रखंड के वरीय पदाधिकारी या किसी अन्य पदाधिकारी के स्तर से लाभुकों का खाता खुलवाने हेतु कोई पहल किया गया। मैं दिनांक 30.11.2008 को प्रखंड का प्रभार ग्रहण किया। चूंकि इंदिरा आवास का प्रथम किस्त लाभुकों को दिया जा चुका था, इसलिए यह बात मेरी जानकारी में नहीं आयी कि लाभुकों का खाता नहीं खुला है। मार्च, 2008 में तत्कालीन उपायुक्त द्वारा यह अनुदेश दिया गया कि 2007-08 के इंदिरा आवास (निर्माण एवं उन्नयन) के लाभुकों का बाकी राशि उनके खाते में हस्तान्तरित कर दिया जाय, ताकि नये वित्तीय वर्ष में opening balance शून्य दिखाया जा सके। जब मैं लाभुकों का शेष राशि उनके खाते में डालना चाहा तो पता चला की लाभुकों का खाता नहीं खुला है। मैं उनका खाता खुलवाने का भरपूर प्रयास किया। बैंक ने मार्च में इतने खाते खुलवाने में असहयोगात्मक रवैया अपनाया। बारबार निर्देश देने तथा मेरे द्वारा काफी प्रयास के बावजूद भी ये सारे खाते नहीं खुल पाये। इस स्थिति में सभी पंचायत सेवकों को उनके पंचायत में स्वीकृत लाभुकों के अनुसार उनके नाम विशेष खाता खुलवा कर राशि हस्तान्तरित की गई तथा यह निदेश दिया गया कि लाभुकों का खाता संबंधित बैंक में खुलवाकर उनके खाते में उनके बचे भुगतये राशि को हस्तान्तरित करेंगे। इस निदेश की जानकारी बैंक को भी उपलब्ध करा दी गई थी। बैंक एवं पंचायत सेवकों द्वारा बिल्कुल ऐसा ही किया गया। अतः न ही यह राशि पंचायत सेवकों के निजी खाते में हस्तान्तरित किया गया और न ही यह उनके खाते में पड़ा रहा। मुझे ऐसा कदम इसलिए उठाना पड़ा ताकि वर्ष 2007-08

में प्रखंड द्वारा चयनित इंदिरा आवास लाभुकों को नियमानुसार खाते के जरिए भुगतान हो सके तथा तत्कालीन उपायुक्त के दिशा-निर्देश के अनुसार नये वित्तीय वर्ष का opening balance शून्य हो सके। पंचायत सेवकों ने वैसे लाभुकों का खाता खुलवा कर पैसा उनके खाते में हस्तान्तरित करवाया, जो पहले किस्त के राशि का सही रूप में व्यय कर चुके थे।

समीक्षा- ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-10170/ग्रा0वि0 दिनांक 08.11.2007 के द्वारा इंदिरा आवास योजना की राशि को Account Payee चेक के माध्यम से लाभुकों के खाता में जमा किये जाने का निर्देश निर्गत है, किन्तु आरोपी द्वारा अपने स्तर से अनधिकृत रूप से इंदिरा आवास योजना की राशि संबंधित पंचायत सेवकों के निजी खातों में हस्तान्तरित किया जाना कोषागार संहिता एवं वित्तीय नियमावली के नियमों के विरुद्ध है। आरोपी पदाधिकारी का कथन कि इंदिरा आवास योजना की राशि का हस्तान्तरण उपायुक्त, देवघर के निर्देश के आलोक में किया गया, साक्ष्य के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं है। आरोपी का कथन की लाभुकों का खाता खुलवाने हेतु बैंकों को निर्देश दिया गया था, साक्ष्य के अभाव में स्वीकार्य नहीं है।

(v) आरोप संख्या-7 के संबंध में श्री सिंह द्वारा उल्लेख किया गया है कि श्री ए0के0 रतन, कार्यपालक दण्डाधिकारी के द्वारा स्थलीय जांच किया गया और प्रखंड के जमुनिया पंचायत के अंतर्गत ग्राम-नावाकुरा में नरेगा योजना के तहत सिंचाई कूप योजना में 10' व्यास एवं 30' गहराई के कूप खोदे जाने के बारे में लिखा गया है। जांच पदाधिकारी का कहना है कि इस योजना के मजदूरों के नाम से खाता नहीं खोला गया है और इसमें दो बिचौलियों परशुराम यादव और श्यामदेव यादव की भूमिका रही है। योजना के मास्टर रौल में अध्ययनरत् छात्र का नाम उल्लेखित है। उनके प्रतिवेदन में प्रखंड विकास पदाधिकारी पर मात्र यह आरोप है कि मांग करने पर अभिलेख उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सका, जिसे असहयोगात्मक रवैया बताया गया है।

यह आरोप बेबुनियाद है। एक तरफ जांच पदाधिकारी लिखते हैं कि इन्हें अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। दूसरी तरफ आरोप लगाया गया है कि मास्टर रौल में अध्ययनरत् छात्रों का नाम दर्ज कर दिया गया है। गौर करने वाली बात है कि जब अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया तो उन्हें यह जानकारी कैसे मिली। यहां साक्ष्य के तौर पर श्री ए0के0 रतन का पत्रांक-94/जि0नी0 दिनांक 27.10.2018 गौर करने योग्य है। श्री रतन द्वारा लिखा गया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं पंचायत सेवक से बारबार अनुरोध करने पर भी योजना का अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। किस पत्र से उन्होंने मुझसे यह अनुरोध बारबार किया इसका जिक्र साक्ष्य में होना चाहिए। सत्य तो यह है कि इस संबंध में उन्होंने कभी पत्राचार नहीं किया। यह पंचायत स्तर की योजना थी और अभिलेख पंचायत सेवक नूनूराम टुडू के जिम्मे था। उन्होंने पंचायत पर्यवेक्षक रणवीर सिंह के साथ तथा उस पंचायत के रोजगार सेवक श्री मुकेश यादव के साथ अभिलेख जांच पदाधिकारी श्री ए0के0 रतन के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसकी वे तीनों ने मुझे जानकारी दी है। योजना की जांच इन्होंने मेरे समक्ष नहीं है। अतः मैं इनकी स्थल जांच से अनभिज्ञ रहा हूँ। प्रखंड के किसी भी आरोपित योजना में यदि वरीय पदाधिकारी का जांच होता है तो उस जांच में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को साथ में ले लेना नियम के तहत एवं साक्ष्य अधिनियम के तहत अपेक्षित है। जिस अपेक्षा को नकारा गया है और एक तरफा प्रतिवेदन मेरे विरुद्ध समर्पित किया गया है, जो प्रतिवेदन साक्ष्य अधिनियम के तहत कोई document नहीं हो सकता है, क्योंकि स्थलीय जांच में श्री रतन के द्वारा कोई memorandum स्थल के

अनुसार तैयार नहीं किया गया है। अतः बिना memorandum तैयार किये जो स्थलीय प्रतिवेदन दिया गया है, वह साक्ष्य अधिनियम के तहत मान्य नहीं है। श्री रतन ने किसी मजदूर या किसी छात्र के बयान को कलमबद्ध कर प्रस्तुत नहीं किया है।

यहां यह भी कहना चाहूंगा कि श्री परशुराम यादव को जांच पदाधिकारी ने बिचौलिया बताया, जबकि वो वास्तव में इस योजना के अभिकर्ता थे तथा अभिलेख में उनका नाम अभिकर्ता के रूप में दर्ज है। योजना पंजी में यह बात स्पष्ट रूप से वर्णित है।

समीक्षा- श्री एक के0 रतन, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, देवघर द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि योजना में कई मजदूरों यथा-श्री जगदेव राय, श्री मंटु राय, श्री कामेश्वर राय, श्री पप्पू सिंह, श्री टिप्पण राय एवं श्री प्रसादी राय को निरीक्षण की तिथि अर्थात् 27.10.2008 तक पूर्ण मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था एवं कई मजदूरों द्वारा विगत छः माह से मजदूरी लम्बित रहने की शिकायत की गई। वस्तुतः जमुनीया पंचायत अंतर्गत ग्राम-नावाकुरा में नरेगा अंतर्गत सिंचाई कूप निर्माण योजना में मजदूरी भुगतान नहीं होने संबंधी शिकायत की जांच श्री रतन द्वारा की गई थी। ऐसी संभावना है कि जांच प्रतिवेदन समर्पित करने के उपरान्त उक्त योजना में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया गया है। आरोपी द्वारा विलम्ब से मजदूरी भुगतान किये जाने के संबंध में कोई तथ्य समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित नहीं किया गया है।

(vi) आरोप संख्या-8 के संबंध में श्री सिंह द्वारा उल्लेख किया गया है कि श्री राजकुमार चौधरी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी का भिखना एवं हरकट्टा में नरेगा के तहत कार्यान्वित योजनाओं के स्थानीय जांच में अभिलेख के तथ्यों को कम अहमियत दिया गया था तथा मजदूरों से पूछताछ को ही आरोप का आधार बना दिया गया था।

श्री चौधरी अचानक वगैर सूचना के जांच में पहुंचे। पंचायत सेवक उसी गांव में पूर्व से उपस्थित थे, जिस कारण पंचायत सेवक से उनका सम्पर्क हुआ। अगर पंचायत सेवक अभिलेख के साथ कार्य स्थल पर उपस्थित नहीं हुआ तो वे उसे अभिलेख लेकर कार्यालय बुला सकते थे। उन्होंने अभिलेख मंगवाकर देखने में रुचि नहीं दिखाई। अपने पत्र में वे स्वयं लिखते हैं कि इसकी विस्तृत समीक्षात्मक जानकारी अभिलेख तथा मास्टर रौल को देखने पर ही दिया जा सकता है।

श्री राजकुमार चौधरी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन पत्रांक-शून्य दिनांक 05.12.2008 के अनुसार आरोप लगाते हुए कहा गया है कि-

(क) भिखना सिंचाई कूप योजना सं0-4/2007-08 में कार्य अधूरा पाया गया। कार्य माह जून, 2008 से बंद था। कुँआ कटाई योजना माह जून में सरकारी निदेशानुसार बंद हो ही जाता है। अतः यह आरोप उचित नहीं है। योजना अभिकर्ता महेश्वर पासवान के घर से मजदूरों के पासबुक उपलब्ध कराया गया, यह आरोप अभिकर्ता के विरुद्ध है, न कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध।

(ख) भिखना तालाब निर्माण योजना सं0-03/2007-08 माह जून, 2008 से बंद रहने का आरोप है। वह आरोप निराधार है, क्योंकि तालाब निर्माण के मिट्टी का कार्य सरकारी निर्देशानुसार जून से बंद हो ही जाता है। तालाब निर्माण योजना सं0-03/2007-08 में अभिलेख के अनुसार मो0 13304/- (तेरह

हजार तीन सौ चार) ₹0 का कार्य मापी पुस्तिका में दर्ज था और व मजदूरों के खाते में उनके कार्य के अनुसार डाल दिया गया था, जिसका मास्टर रोल एवं एडवाईस अभिलेख में संधारित है।

(ग) देवघर सारवाँ मुख्य पथ में कर्णकोर ग्राम तक मिट्टी मोरम कार्य सं0-6/2007-08 को बंद पाना माह जून के बाद स्वाभाविक है। इस योजना में मजदूरों के मजदूरी बिचौलियों द्वारा हड़प लेने के बारे में कहा गया है। इस अनियमितता का पूर्ण जांच ना तो किया गया है और ना ही प्रखंड विकास पदाधिकारी को साथ लेकर निरीक्षण किया गया है।

योजना सं0-6/2007-08 देवघर-सारवाँ मुख्य पथ से कर्णकोर ग्राम तक मिट्टी मोरम का सड़क निर्माण में मजदूरी के एवज में मो0 80519/- (अस्सी हजार पांच सौ उन्नीस) ₹0 मापी पुस्त में दर्ज था। इतने राशि के एवज में मास्टर रोल संधारित था और उनका भुगतान भी संबंधित मजदूरों के बीच खाता के जरिये कर दिया गया था। मास्टर रोल गंगा स्वयं सहायता समूह के सचिव कान्ता झा द्वारा बनाया गया था। पंचायत सेवक, कनीय अभियंता एवं कान्ता झा ने बताया कि मजदूरों से इस बात को लेकर मतभेद उत्पन्न होता था कि उनका कार्य दिवस और मानव दिवस में फासला होता है। कारण हर मजदूर की कार्य करने की क्षमता में भिन्नता होती है।

जहां तक मेरे निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का प्रश्न है, मैं इस योजना पर तीन बार गया था। दो अवसर पर ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक श्री रणबीर सिंह और निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम श्री बलराम प्रसाद भी साथ थे। हमने मजदूरों को जॉब कार्ड मांग कर देखा था और उनसे भुगतान संबंधित जानकारीयां ली थी। सभी पदाधिकारी तीनों अवसर पर संतुष्ट थे। किसी भी मजदूर के द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गई थी।

समीक्षा- (क) भिखना सिंचाई कूप योजना सं0-4/2007-08 एवं भिखना तालाब निर्माण योजना सं0-03/2007-08 के संदर्भ में श्री सिंह का कथन कि मिट्टी कटाई कार्य माह जून में निदेशानुसार बंद हो जाता है, सही है, किन्तु जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा योजना की जांच माह दिसम्बर में की गई थी। अतः दिसम्बर माह तक इन दोनों योजनाओं में कार्य प्रारंभ क्यों नहीं हुआ, इस संबंध में श्री सिंह द्वारा कोई उत्तर अपने द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित नहीं किया गया है।

(ख) भिखना तालाब निर्माण योजना सं0-03/2007-08 में मजदूरों द्वारा किये गये कार्यों की प्रविष्टि जॉब कार्ड में नहीं किये जाने तथा मजदूरों की मजदूरी भुगतान लम्बित रहने के संदर्भ में भी श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में कोई उत्तर नहीं दिया गया है और ना ही योजनाओं में मजदूरी लम्बित रहने के संदर्भ में अधीनस्थ कर्मचारियों से पूछा गया कोई स्पष्टीकरण/कारण पृच्छा साक्ष्य के रूप में संलग्न किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि श्री सिंह द्वारा योजनाओं का नियमित पर्यवेक्षण/निरीक्षण नहीं किया जाता था।

(ग) देवघर-सारवाँ मुख्य पथ में कर्णकोल ग्राम तक मिट्टी मोरम कार्य (योजना सं0-6/2007-08) में अधिकतर मजदूरों द्वारा मजदूरी लम्बित रहने की शिकायत जांच पदाधिकारी के समक्ष की गई है। श्री सिंह का कथन कि इनके द्वारा संबंधित योजनाओं का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण तीन बार किया गया है, साक्ष्य के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा W.P.(S) No.5404/2015 में दिनांक 18.08.2020 को पारित न्यायादेश के आलोक में निम्नांकित निर्णय लिया जाता है-

(i) श्री (डॉ०) ज्योति कुमार सिंह, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोहनपुर, देवघर, सम्प्रति-सहायक नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं0-11258 दिनांक 22.11.2013 द्वारा तीन वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने के साथ-साथ निन्दन का दण्ड एवं विभागीय संकल्प सं0-4279 दिनांक 13.05.2015 द्वारा अपील अभ्यावेदन निरस्त करते हुए पूर्व में अधिरोपित दण्ड यथावत् रखने संबंधी निर्गत संकल्प को रद्द किया जाता है।

(ii) श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में उल्लेखित बिन्दुओं की गई समीक्षा के आलोक में उनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अंतर्गत असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री (डॉ०) ज्योति कुमार सिंह, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	JYOTI KUMAR SINGH 20060400064	श्री (डॉ०) ज्योति कुमार सिंह, झा0प्र0से0 उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अंतर्गत असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विशाल सागर,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:111004320892
